ट्रांसफार्मर को अन्यत्र लगाने की मांग

अजमेर, (कासं)। मदार शक्ति नगर के क्षेत्रवासियों की ओर से नगर निगम के वार्ड नंबर 54 मदार में लगे ट्रांसफार्मर को अन्य स्थान पर लगाने के सम्बन्ध में मदार डिस्कॉम की सहायक अभियन्ता पूजा आर्य को ज्ञापन सौंपा। गणेशी लाल जोशी व प्रवीण राठौड ने ज्ञापन में बताया कि मदार स्थित शक्ति नगर में सामुदायिक भवन के पास दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो कि जमीन की सतह से लगभग ढाई फूट कि ऊंचाई पर लगे हुए है इससे कभी भी अनहोनी तथा अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसलिए उपरोक्त ट्रांसफार्मर को ऊंचाई पर लगाना अति आवश्यक है ताकि भविष्य मे कभी अनहोनी तथा अप्रिय घटना से बचा जा सकें। इस पर सहायक अभियन्ता ने विश्वास दिलाया कि उपरोक्त प्रकरण कि शीघ्र ही मौका दिखाकर उचित कार्रवाई कर समाधान करा दिया जाएगा। ज्ञापन देने वालो मे वार्ड नंबर 54 के भाजपा के वार्ड अध्यक्ष प्रवीण राठोड, भाजपा नेता मुन्नाभाई मंसूरी, गणेशी लाल जोशी, सुनिल नेलसन, हाजी रज्जाक मोहम्मद अंसारी इत्यादी मौजूद रहें।

ऑटो रिक्शा चालकों ने यातायात ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया

अजमेर, (कासं)। अजमेर ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में मंगलवार को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के ऑटो रिक्शा चालकों ने कोतवाली थाना के पास स्थित यातायात ऑफिस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और दरगाह क्षेत्र में सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा ले जाने की अनुमति देने की मांग की है।

अजमेर ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों कालूराम मंत्री सहित ऑटो चालकों ने मीडिया को बताया कि शहर के करीब 300 से अधिक ऑटो रिक्शा, ईरिक्शा चालक एकत्रित होकर आज यातायात पुलिस ऑफिस पहुंचे। उन्होंने बताया कि दरगाह क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए यातायात पुलिस ने ख्वाजा साहब की दरगाह जाने वाले मार्गों पर ऑटो चालकों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है, जबकि पूर्व में यूनियन और यातायात पुलिस के बीच हुए बातचीत में हाल निकालने की बात कर आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उन्हें अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है।

300 से अधिक ऑटो चालकों ने यातायात ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया।

उन्होंने कहा कि एक ओर तो पुलिस बस स्टैंड व स्टेशन से सवारियां भर कर दरगाह आने वाले ऑटो चालकों को रोक रही है, वहीं दूसरी ओर धानमंडी ऑटो यूनियन के ऑटो को दरगाह तक जाने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा भेदभाव हमारे साथ ही क्यों किया जा रहा है, सभी ऑटो चालकों को दरगाह तक जाने की अनुमति दी जाए अन्यथा किसी को भी अनुमति नहीं दी जाए। पदाधिकारी सहित ऑटो चालकों ने बताया कि हनुमान मंदिर दूध वाली गली से पट्टी कटला होते हुए धानमंडी तथा मम्मिया चौक होते हुए ऑटो रिक्शा जा सकते हैं, लेकिन उन्हें दरगाह तक आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्होंने बताया

■ दरगाह क्षेत्र में सवारियों को लेकर जाने की अनुमति मांगी

कि अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के चलते जियारत के लिए अजमेर जायरीन की भीड़ आती है, जिसकी वजह से ऑटो चालकों को गुजारा होता है, सवारी भर कर जब जाते हैं और दरगाह तक नहीं छोड़ते तो सवारियों लड़ाई झगड़ा करती है।

यातायात पुलिस द्वारा एक माह से उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है, जिससे आज सभी ऑटो चालकों ने यातायात ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर यातायात पुलिस से दरगाह क्षेत्र में ऑटो चालकों को सवारियां छोड? की अनुमति देने की मांग की है। यदि उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है तो यूनियन के पदाधिकारियों से चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

कार्यशाला में कानूनों की जानकारी दी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यशाला का आयोजन कर 1 जुलाई से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने उपस्थित कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में लागू हुए नए कानून आयोग में काम करने वाले कार्मिक आसानी से समझ और अपना सकें इसके दृष्टिगत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

कार्मिकों की कानूनी बदलावों से संबंधित जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का जवाब विशेषाधिकारी चेतन त्रिपाठी द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी आयोग के कामकाज संबंधित कानूनों पर जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता रहेगा।

कार्यशाला में नवनियुक्त कनिष्ठ विधि अधिकारी राजेश बजाड़ ने भारतीय न्याय संहिता की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने परीक्षाओं में प्रतिरूपण, रिकार्ड में जालसाजी जैसे अपराधों एवं सजाओं के संबंध में भी विस्तार से बताया।

सार-समाचार

एडीए ने अतिक्रमण हटाए

अजमेर, (कासं)। अजमेर विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को बडी कार्यवाही करते हुए कई स्थानों से अतिक्रमण हटाए। एडीए के अधिकारियों ने मंगलवार को गश्ती दल के साथ सराधना, तबीजी, अर्जुनपुरा आदि गावों का मौका निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही सराधना में कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण हटाए गए। गांव सराधना के खसरा नम्बर 8431/2412 पर बालूराम द्वारा काटी गई अवैध कॉलोनी के पिलर हटाए व रोड की खुदाई की गई। इसी तरह राजगढ रोड पर खसरा नम्बर 2862, 2867, 2864 व 2865 पर काटी गई अवैध कॉलोनी के पिलर हटाए गए। इसके साथ ही तबीची के खसरा नम्बर 2218 खातेदारी कृषि भूमि पर काटी गई अवैध कॉलोनी के पिलर हटाए गए।

विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी

ब्यावर (निसं) विधुत लाईनो के अतिआवश्यक कार्य करने हेतु बुधवार को प्रात: 8 बजे से 12 बजे तक 11 के वी तालाब की पाल फिडर से जुडे क्षेत्र की विधुत आपूर्ती बंद रहेगी। जिसके अंतर्गत तंवर कॉलोनी, श्याम नगर, अजय नगर, आज़ाद नगर, बसंत कॉलोनी, पारस कॉलोनी, लौहार बस्ती, सांख्ला कॉलोनी ,मारोठिया का कुँवा, चौहान कॉलोनी , विजयनगर रोड(बाँके बिहारी बगिची से दादा बाड़ी के पहले)आदि सम्बंधित क्षैत्र की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी ।

आज बिजली बंद रहेगी

मसूदा, (निसं)। मसूदा विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता ने बताया कि आवश्यक रखरखाव के चलते 3 जुलाई बुधवार को33/11 केवी जीएसएस रामगढ पर आवश्यक रखरखा व मरम्मत कार्य के कारण विद्युत सप्लाई प्रात: 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी । उक्त जीएसएस से निर्गत11केवी फीडर तथा 11 केवी फीडर रामगढ़ शहरी ,रामगढ़ ग्रामीण ,देवास ,जीवाणा, दौलतपुरा सेकंड ,नाकोड़ा, आशापुरा माइंस से जुड़े क्षेत्र की विद्युत सप्लाई उक्त समय अंतरकाल में बंद रहेगी।

विधायक भदेल ने केन्द्रीय रेल मंत्री से की शिष्टाचार भेंट

अजमेर, (कासं)। दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक भदेल ने नई दिल्ली में केन्द्रीय रेल मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात कर प्रदेश में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं, सम्पर्क सुविधाओं व रेल कनेक्टिविटी के बेहतर संचालन के लिए आभार व्यक्त किया। भदेल ने अजमेर में रेलवे स्टेशन के विस्तार, निर्माणाधीन आरओबी-आरयूबी के लिए धन्यवाद देते हुए पुष्कर- मेड़ता रेल लाइन के उद्घाटन के लिए अजमेर आने का आमंत्रण दिया।

भदेल ने एलसी-1 सुभाषनगर आरओबी व एलसी-2 डेयरी आरओबी निमार्ण प्रारंभ के लिए आभार प्रकट किया तथा एलसी-44 आरओबी आरयूबी गुलाबबाड़ी निर्माण कार्य की प्रगति की चर्चा करते हुए शीघ्र तकनीकि खामियों को दूर कराने का आग्रह किया। जोंसगंज आरओबी के शीघ्र निर्माण में आ रही बाधाओं का निस्तारण करते हुए कैरिज

■ रेल मंत्री से अजमेर में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर की चर्चा

वर्कशॉप में आरओबी निमार्ण हेतु जगह उपलब्ध कराने का निवेदन किया।

भदेल ने रेल डवलपमेंट ऑथरटी के अधीन प्रोजेक्ट हजारीबाग कार्य में आ रही तकनीकी खामियों को दूर कर कार्य शीघ्र शुरू कराने का आग्रह किया। जिस पर रेल मंत्री ने शीघ्र ही हजारीबाग प्रोजेक्ट आ रही समस्या का निराकरण कराने का आश्वासन दिया। अजमेर-जोधपुर यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए नई ट्रेन चलाने का निवेदन किया। जिस पर रेलमंत्री वैष्णव ने बताया कि रेल लाइन का इलैक्ट्रिफिकेशन कार्य पूर्ण होते ही अजमेर-जोधपुर के लिए नई रेल प्रारंभ की जाएगी तथा रूके हुए कार्य शीघ्र पूर्ण कराने तथा अटके पड़े प्रोंजेक्ट्स को शीघ्र प्रारभ कराने का आश्वासन दिया।

पांच वर्षीय मासूम के शरीर में लगी एयर गन की गोली निकाली

अजमेर, (कासं)। संभाग के सबसे बड़े जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के चिकित्सकों ने पांच वर्षीय मासूम बच्ची का साढ़े पांच घंटे ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। नील गाय को भगाने के लिए काम में आने वाली एयर गन को खेल-खेल में बच्चों ने चला दिया, गन से निकली गोली (छर्रा) बच्ची की छाती में जाकर अटक गया। 7 दिन आईसीयू में रहने के बाद मंगलवार को चिकित्सकों ने बच्ची अस्पताल से छुट्टी दे दी। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है।

जेएलएन अस्पताल के सीटीवीएस सर्जन डॉ.प्रशांत कोठारी ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर मीडिया को बताया कि 25 जून को डेगाना नागौर निवासी पांच वर्षीय मासूम को गोली लगने पर परिजन जेएलएन अस्पताल लेकर आए। परिजन ने चिकित्सकों को बताया कि घर में बच्चे नील गाय को भगाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एयरगन बंदूक से गोली दाग दी। गोली (छर्रा) बच्ची की पीठ से होकर

चिकित्सकों ने उपचार के बाद मासूम बच्ची को अस्पताल से छुट्टी देदी।

फेफड़ों में आकर रुक गया। मसूम की नाजुक हालत को देखते हुए तत्काल चिकित्सकों ने सीटी स्कैन कराया। उन्होंने बताया कि वे स्वयं और उनकी टीम ने रात 9 बजे ऑपरेशन थियेटर ले गए, जहां उसका पांच घंटे चले ऑपरेशन चला। ऑपरेशन के बाद मासूम के शरीर से गोली (छर्रा) बाहर निकाला।

गोली बच्चे की छाती में आगे जाकर मसल्स के बीच अटकी थी, जो की दबाने पर भी महसूस नहीं की जा रही थी, लेकिन सिर्फ एक्सरे पर दिखाई दे रही थी। रेडियोलोजी विभाग के प्रोफेसर डॉ अविनाश की मदद से उसके एक्सरे थिएटर के अंदर लिए गए। जिसमें यह दिखा की गोली एक्ससीला में है, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। यह पूरा ऑपरेशन करीब साढ़े घंटे चला था। प्रिंसिपल ने बताया कि

■ जेएलएन के चिकित्सकों ने साढ़े पांच घंटे ऑपरेशन कर बचाई मासूम की जान

एक्ससिलरी डिसेक्शन काफी जटिल होता है, जिसमें की हाथ की पैरालिसिस भी हो सकती है।

प्रेसवार्ता में मेडिकल कॉलेज प्रचार्य डॉ.वीर बहादुर सिंह ने बताया कि यह एक्सिलरी डिसेक्शन काफी जटिल होता है। ऑपरेशन के दौरान गोली बच्ची के शरीर में नजर नहीं आ रही थी। ऑपरेशन के दौरान एक्स-रे लिया और इसके बाद गोली को बाहर निकाला जा सका। ऑपरेशन के बाद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.जयप्रकाश नारायण की देख रेख में उसे पीडियाट्रिक्स आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में सात दिन रखने के लिए स्वास्थ्य में सुधार के बाद मंगलवार को उसे डिस्चार्ज दिया गया।

बाइक को आग लगाई

मकराना, (निसं)। शहर के माताभर क्षेत्र में स्थित एक बाड़े में रविवार रात को अज्ञात लोगों ने एक सीडी डीलक्स बाइक को आग लगा दी। सुबह उधर से गुजर रहे राहगीरों ने बाड़े में बाइक को जली हालात में देखा।

मामले के अनुसार माताभर रोड़ पर इकबाल सिसोदिया का घड़ाई का कारखाना मौजूद हैं। जिसके सामने ही इकबाल सिसोदिया का एक खाली बाड़ा है जहां मार्बल घड़ाई के काम के बाद बचने वाले मार्बल पत्थर टुकड़े आदि रख दिए जाते हैं। इस तरफ मार्बल के बाड़े है और कम आबादी के कारण रात में क्षेत्र सूना ही रहता हैं। यहां कोई कैमरे भी नहीं लगे हैं। सूने बाड़े के बाउंड्री वॉल भी नहीं है। जिसके चलते खुले बाड़े में से होकर लोगों का माताभर से इकबालपुरा की ओर आवागमन होता है। लेकिन रात के समय इस ओर का क्षेत्र सूना रहता है।

आम सूचना

मेरे भाई रोड़ू (अविवाहित) पुत्र मोठू माली का स्वर्गवास दिनांक 30 अक्टूबर 2007 को मेरे निवास स्थान सरवाड़ी गेट, किशनगढ़ जिला अजमेर पर हो गया, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिये तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो मय दस्तावेज 7 दिवस के भीतर तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में संपर्क करे।

प्रार्थी-जीतू सैनी पुत्र मोठू माली

आम सूचना

मेरी मां श्रीमती गीता देवी माली का स्वर्गवास दिनांक 15 अप्रैल 1996 को एवं मेरे पिता मोठू पुत्र छोटू माली का स्वर्गवास दिनांक 11 फरवरी 2003 को मेरे निवास स्थान सरवाड़ी गेट, किशनगढ़ जिला अजमेर पर हो गया, जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिये तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो मय दस्तावेज 7 दिवस के भीतर तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में संपर्क करे।

प्रार्थी-जीतू सैनी पुत्र मोठू माली

सम्मान समारोह स्थगित

अजमेर, (कासं)। राजस्व मंडल की ओर से आगामी 10 से 12 जुलाई तक अजमेर के आरआरटीआई सभागार में आयोजित होने वाली पीठासीन अधिकारियों की निर्णय लेखन कार्यशाला आगामी आदेशों तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने बताया कि राजस्थान विधानसभा सत्र के चलते यह कार्यक्रम स्थगित किया है। इसी प्रकार राजस्व मंडल की ओर से वर्ष 2024 के लिए आयोजित राज्य स्तरीय निबंध एवं सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिताओं के विजेताओं का चार जुलाई को राजस्व मंडल में आयोजित होने वाला सम्मान समारोह भी स्थगित कर दिया गया है। यह दोनो कार्यक्रम विधानसभा सत्र के पश्चात नई तिथियां तय करते हुए आयोजित किए जाएंगे।

विधायक चौधरी ने चुनौती दिवस के रूप में मनाया जन्मदिन

मदनगंज-किशनगढ़, (निस)। विधायक डॉ विकास चौधरी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण किशनगढ़ क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाओं से महरूम किया जा रहा है। विधायक चौधरी ने अपना जन्म दिन चुनौती दिवस के रूप में मनाया।

उन्होंने सांकेतिक उपहास के अंतर्गत अम्बेडकर सर्किल पर बड़ी संख्या में एकत्रित कार्यकर्ताओं संबोधित करते हुए कहा कि आमजन की पीड़ा को मद्देनजर रख सांकेतिक उपहास रखना पड़ा। अघोषित बिजली कटौती से आमजन परेशान है, गुपचुप रूप से बिजली की दरो में अत्याधिक बढ़ोतरी करने से उपभोक्ता को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। बिजली दर बढ़ने से मार्बल व

विधायक चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ रक्तदान किया।

पावरलूम उद्योग भी प्रभावित हो रहा है। विधायक चौधरी ने कहा विधानसभा क्षेत्र में पानी की विकट समस्या होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा राहत के लिये कोई उपाय नहीं किये जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में 4-5 दिन के अंतराल में जलापूर्ति किये जाने से हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में हाल बेहाल है, महीने में केवल दो या तीन दिन पानी दिया जा रहा है। कई गांवो में तो पाईप लाईन नहीं डाली गई। स्वास्थ्य सेवा सहित अनेक जनहित से जुडी समस्याओ का समाधान नहीं होने पर विधानसभा में ध्यान आकर्षित किया जायेगा।

विधायक डॉ. विकास चौधरी ने प्रात: बालाजी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। यज्ञनारायण अस्पताल में मरीजों को फल वितरण कर रक्तदान किया। सुग्रीव मंदिर गौशाला में गायों को चारा व गुड खिलाया। अंबेडकर सर्किल पर संविधान के रचयिता बाबासाहेब डॉ अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर नमन किया।

दो बालिकाओं का स्कॉलरशिप परीक्षा में चयन

ब्यावर, (निसं)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंदड़ा की कक्षा 8 वी की दो छात्राओं पायल और प्रिया कुमारी का नेशनल मींस कम- मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2024 में चयन हुआ जिसे लेकर संपूर्ण विद्यालय परिवार एवं बालिकाओं के अभिभावकों में हर्ष का माहौल है।

इस स्कॉलरशिप में चयनोपरांत कक्षा 9 वी से 12 तक लगातार विद्यार्थी के उत्तीर्ण होते रहने पर प्रतिवर्ष 12000 की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य भीकम परिहार एवं छात्रवृत्ति प्रभारी मोहम्मद यूनुस के द्वारा विगत चार वर्षों से छात्रों को इस स्कॉलरशिप से संबंधित उपलब्ध करवाये जा रहे सकारात्मक माहौल एवं जानकारी के चलते पूर्व में भी सत्र 2021-22 में तीन विद्यार्थियों छात्र चेतना, रुखसाना, मनीषा त्रुवेश तथा सत्र 22-23 में एक छात्र रुद्रप्रताप कटारिया का चयन हो चुका है। जिन्हें इस छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है। इन बालिकाओं के चयन हो जाने पर संपूर्ण विद्यालय परिवार द्वारा इनका माला एवं साफा पहनकर स्वागत ,सत्कार एवं उत्साह वर्धन किया गया।राजस्थान सरकार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को शिक्षा संकुल में नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम चयन परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम जारी किया।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर - 305001 (राज.)

क्रमांक:एफ.14 (18)( )/ननिअ/उद्यान/विजयलक्ष्मी/2024-25/131 दिनांक- 01/07/2024

निविदा सूचना

नगर निगम, अजमेर द्वारा विजयलक्ष्मी मैरीज गार्डन का संचालन एवं संधारण इत्यादि का कार्य 3+2 वर्ष की अवधि के लिए निविदा पर दिये जाने हेतु निर्धारित परिपत्र में ऑनलाईन निविदा आमंत्रित करती है। जिसकी अनुमानित आय प्रतिवर्ष राशि रू. 125.00 लाख /- (अक्षरे रूपये एक करोड पच्चीस लाख) होगी। निविदा प्रपत्र दिनाक 02/07/2024 को प्रातः 11.00 बजे से अन्तिम दिनांक: 22/07/2024 को सांय 6.00 बजे तक निर्धारित पोटर्ल से डाउनलोड किये जा सकेंगे। नोट- राज्य लोक उपापन पोर्टल (www.eproc.rajasthan.gov.in) (www.sppp.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती है।

उपायुक्त नगर (वि.) निगम अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी / अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की शास्त्री नगर योजना के आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड संख्या T-17 क्षैत्रफल 266.66 वर्ग गज के आवंटी/अन्तरिति (1) दिनेश कुमार शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा निवासी 394/36 जवाहर नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 23/12/23 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः (1) कौशल्या शर्मा पत्नि स्व. दिनेश कुमार शर्मा (2) सुश्री स्वाति शर्मा पुत्री स्व. दिनेश कुमार शर्मा निवासी T-17 जवाहर नगर अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार कौशल्या शर्मा पत्नि स्व. दिनेश कुमार शर्मा निवासी T-17 शास्त्री नगर अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 16/6/24 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की जे.पी. नगर सेक्टर I मदार योजना के आवासीय क्वार्टर नं. 327 क्षेत्रफल 50 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति ओमप्रकाश सेन पुत्र भंवर लाल सेन निवासी धोलाभाटा अजमेर की मृत्यु दिनांक 30/6/2023 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा (पंजीकृत/अपंजीकृत) दिनांक 16/10/1992 सलंग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु श्री गोपाल गर्ग पुत्र स्व. देवीलाल गर्ग जे.पी. नगर सेक्टर I मदार अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण

बिड़ला सिटी वाटर पार्क के रेस्टोरेंट में मिली अनियमितताएं

अजमेर, (कासं)। अजमेर के जाने माने बिरला सिटी वाटर पार्क जिसमें अजमेर शहर, नसीराबाद, किशनगढ़ व पुष्कर सहित जिले के अन्य उपखंड से व नेशनल हाईवे से गुजरने वाले यात्री व युवक-युवतियों सहित बच्चे वाटर पार्क में लुफ्त उठाकर अपनी भूख मिटाने के लिए बिरला सिटी वाटर पार्क के रेस्टोरेंट में ही छोले भटूरे, ब्रेड पकोडों सहित अन्य व्यंजनों का लुफ्त उठाते हैं। लेकिन यहां व्यंजन

■ रेस्टोरेंट में बेहद घटिया तेल में व्यंजन बनाए जा रहे थे

बेहद घटिया तेल में बनाए जा रहे है, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ के साथ खिलवाड किया जा रहा है।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल इकबाल खान एवं अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशानुसार प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी टीम ने आज अजमेर के बिड़ला सिटी वाटर पार्क पर कार्यवाही की। सी एम एच ओ डॉ ज्योत्सना रंगा ने बताया कि जिला प्रमुख कार्यालय से प्राप्त शिकायत पर फूड सेफ्टी टीम को कार्यवाही के लिए भेजा

फूड सेफ्टी टीम ने अजमेर के बिड़ला सिटी वाटर पार्क पर कार्यवाही की।

गया था। टीम के निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट में जिस खाद्य तेल में छोले भटूरे, ब्रेड पकोड़ा आदि तैयार किए जा रहे थे, इस तेल की टी पी सी मीटर द्वारा जांच करने पर जो रीडिंग अधिकतम 25 होनी चाहिए उसके स्थान पर रीडिंग 43 देखकर टीम के सदस्य चकित रह गए। टीम द्वारा पिछले दिनों अजमेर जिले के लगभग 30 संस्थानों पर तेल की जांच की गई, लेकिन इतनी खराब स्थिति कहीं नहीं पाई गई। टी पी सी की रीडिंग 43 होने का मतलब है कि खाद्य तेल अनुपयोगी है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के अत्यंत हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं। रेस्टोरेंट मैनेजर रामनिवास शर्मा से पूछने पर बताया कि सुबह कड़ाई में तेल भरते हैं देर शाम तक गर्म होता रहता है ऑर्डर के अनुसार छोले भटूरे और ब्रेड पकोड़ा रोजाना करीब 300-400 प्लेट तैयार होता है। लगातार गर्म होने से तेल की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मौके पर कड़ाई में रखे तेल का नमूना लेकर शेष तेल को उपयोग में नहीं लेने हेतु पाबंद करते हुए स्टोर में रखवाया गया।

निराश्रित 250 व्यक्तियों को भोजन कराया

अजमेर, (कासं)। दिगम्बर जैन महासमिति के विभिन्न कार्यक्रमों की कड़ी में आज सर्वप्रथम सी. ए. दिवस पर ए. एस. इंस्टिट्यूट पर शॉल और माला पहनाकर सी. ए. का स्वागत किया गया। महासमिति के तत्वाधान में आज स्व. विद्या देवी जैन की पुण्यस्मृति में उनके पौत्र मनीष सेठी, सागर सेठी द्वारा जे. एल. एन. अस्पताल की इंद्रा रसोई में निराश्रित 250 व्यक्तियों को भोजन कराया गया।

तत्पश्चात मीनू स्कूल चाचियावास के 100 दिव्यांग विद्यार्थियों को स्टेशनरी वितरित की गई। विद्यालय के 36 वें स्थापना दिवस समारोह में दिगम्बर जैन महासमिति के सदस्यों को सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा धड़ा अध्यक्ष श्री प्रदीप पाटनी के जन्मदिन के उपलक्ष में अध्यापक एवं विधार्थियों की उपस्थिति में केक काटा गया एवं विद्यालय को तीन पंखे भेंट कर अपने जन्मदिन को श्री प्रदीप पाटनी ने सार्थक किया। उपाध्यक्ष श्री प्रकाश पाटनी ने विद्यालय में अपने संबोधन में विद्यालय परिवार को 36 वें स्थापना दिवस की बधाई दी तथा बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया तथा महासमिति अध्यक्ष रूपश्री जैन ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में मनोज मोडासिया, अजय दोशी, राजेंद्र पाटनी, अनुभा जैन, सुनीता गंगवाल, रिंकू सेठी, कुसुम जैन, अंजू जैन एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]

कब्जा नोटिस

(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15.04.2021 को एक मांग पत्र कर्जदारों, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. हनुमान रंजीत, 2. ममता हनुमान, 3. रंजीत नाथ को दिया गया था, जिसमें 14.04.2021 को देय, मांग पत्र में उल्लेखित राशी रूपये 1158547.45/- (रूपये ग्यारह लाख अठावन हजार पांच सौ सैंतालीस और पैसा पैंतालीस मात्र) का भुगतान नोटिस प्राप्ती की तिथी से 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज जून 2024 के 28वें दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) की प्रभारित शर्तों के अधीन रूपये 1158547.45/- (रूपये ग्यारह लाख अठावन हजार पांच सौ सैंतालीस और पैसा पैंतालीस मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।

कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

रिहायशी सम्पत्ति पट्टा नं. 43, क्षेत्रफल 187 वर्गगज, ग्राम घूघरा, ग्राम पंचायत घूघरा, पंचायत समिति श्रीनगर, जिला अजमेर, राजस्थान-305001 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमाये है उत्तर-लादूनाथ का मकान, दक्षिण-सुखपाल नाथ का मकान, पूर्व-कल्याण नाथ का मकान, पश्चिम-12' चौडी रोड

दिनांक- 28 जून 2024
स्थान- अजमेर
ऋण खाता संख्या- 22098972

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)